



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11092025-266080
CG-DL-E-11092025-266080

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3999]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 11, 2025/भाद्र 20, 1947

No. 3999]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 11, 2025/BHADRA 20, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2025

का.आ. 4114(अ)—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 644(अ) दिनांक 07/02/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, जिसके पश्चात संशोधित अधिसूचना का.आ. 2249(अ) दिनांक 20.05.2025 को प्रकाशित किया गया, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के मुरादाबाद जिले में NH734 के मुरादाबाद रिंग रोड (पैकेज-1) के कि.मी. 0+000 से कि.मी. 33.724 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन दिनांक 04.06.2025 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" एवं "अमर उजाला" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के मुरादाबाद जिले में NH734 के मुरादाबाद रिंग रोड (पैकेज-1) के कि.मी. के 0+000 से कि.मी. 33.724 तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश		जिले का नाम: मुरादाबाद			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मुरादाबाद					
गांव का नाम: त्रिलोकपुर					
1	२४२०	निजी	कृषि	0.048	कलुआ, बाबू पुत्र स्वर्गीय प्यारे श्रीमती अफसाना पत्नी मोहम्मद शाहिद 2420
गांव का नाम: ककरघटा					
2	३४४	निजी	कृषि	0.012	गंगाराम, ध्यानसिंह, रामस्वरूप पुत्र चोखे 344
गांव का नाम: काजीपुरा					
3	२२६	निजी	कृषि	0.0308	करण सिंह, जसवन्त सिंह, होराम सिंह, खुसीराम सिंह के पुत्र टोडी, लल्लू पुत्र चरन 226
Total				0.0908	

[फा. सं. 17003/1/2018/PIU-Brly/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2025

S.O. 4114(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 644 dated 07th February 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) and

Corrigendum of the same was published vide S.O. 2249 (E) dated 20th May, 2025 (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH734 in the stretch of Moradabad Ring Road(PKG-1) from Km. 0+000 to Km. 33.724 in the district of MORADABAD in the state of UTTAR PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in "**Hindustan Times**" and "**Amar Ujala**" both dated 04th June 2025; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person, by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH734 in the stretch of Moradabad Ring Road (PKG-1) from Km. 0+000 to Km. 33.724 in the district of MORADABAD in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH			District: MORADABAD		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Moradabad					
Village: Tilokpur					
1	2420	Private	Agriculture	0.048	Kalua, Babu S/o Late Pyare Smt. Afsana W/o Mohammad Shahid 2420
Village: Kakarghata					
2	344	Private	Agriculture	0.012	Gangaram, Dhyansingh, Ramswaroop S/o Chokhe 344
Village: Kazipura					
3	226	Private	Agriculture	0.0308	Karan Singh, Jaswant Singh, Horam Singh S/o Khusiram Singh Todi, Lallu S/o Charan 226
Total				0.0908	

[F. No. 17003/1/2018/PIU-Brly/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director